

श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा
 लोक अदालत / कैम कोर्ट 2018
 उपखण्ड अधिकारी रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर)
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा
 पीठस्थान अधिकारी

14/5

रामगढ़-शेखवाड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बीघा किया जाकर पालना
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा को सूचना है।
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा

1058
 14/05/18

श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा
 लोक अदालत / कैम कोर्ट 2018
 उपखण्ड अधिकारी रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर)
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा
 पीठस्थान अधिकारी

आदेश (शुद्ध प्रतिस्ति जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)	वर्तमान प्रतिस्ति (अशुद्ध प्रतिस्ति)	खाता संख्या	ग्राम
श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा	श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा	6	श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा

आदेश :-
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा व श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा को रिपोर्ट तथा
 श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
 तहत श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा व श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा को जमाना सीकर की जमानाबन्दी
 में वर्तमान में दर्ज प्रतिस्ति को
 में खाता संख्या
 से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

श्रीमान श्री. राजेश कुमार शर्मा लोक अदालत / कैम कोर्ट
 उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर)